न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 87 / 2010 दायर दिनांक 15.04.2010

उनवान

1. उदयराम पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।

—— वादी

बनाम

1. छोगा पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
2. हिरा पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
3. किसना पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
4. अमरी बाई पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी घासलों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
5. शंकर माता उदी पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
6. माधु माता उदी पिता दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
7. सत्यनारायण माता कंकू पिता हिरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
8. गोपाल माता कंकू पिता हिरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी विरोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
9. सोहनीबाई माता बरदी पति दयाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी थेपडियों का खेड़ा तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
10. मु0 रूपी बाई माता बरदी पति मांगु जाति जाट आयु वयस्क निवासी दांतोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ ।
11. तहसीलदार कपासन ।

—— प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

संशोधित निर्णय दिनांकः 18.01.2023

—: संशोधित निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट व आदेश 7 नियम 1,2 सीपीसी के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया कि मौजा विरोली तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ के हल्के बैरूनी के सम्वत 2052 की पैमायस के आ0नं0 256 रकबा 0.18 है0, आ0 नं0 257 रकबा 0.24 है0, आ0नं0 258 र[illegible] है0, आ0नं0 259 रकबा 0.67 है0, आ0नं0 260 रकबा 0.68 है0, आ0नं0 261 रकबा 0.37 है0, आ0नं0 273 रकबा 0.23 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.49 है0 स्थित है। जिसके [illegible] 2012 को गत पैमायस के आ0नं0 97 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा, आ0नं0 104 रकबा 1 बीघा [illegible] बिस्वा, आ0नं0 108 [illegible] 11 बिस्वा, आ0नं0 109 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 11 बिघा 10 बिस्वा स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:55 IST
Reason: SelfAttested

चालू रेवेन्यू रेकार्ड में वादी उदयराम का 1/4 उदी बाई ,कंकू बाई, सोहनी बाई, रूपी बाई, प्रतिवादी नं0 5 से 11 तक का 1/4 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार प्रतिवादी नं 1 से 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में पक्षकारान के दर्ज होकर संयुक्त कब्जे काश्त की है। जमाबन्दी में लिखित खातेदारी मु0 उदी बाई की मृत्यु हो गई है इसलिये प्रतिवादी नं0 5 व 6 उनके वारिस है तथा खातेदारी कंकू बाई भी मर गई है इसलिये प्रतिवादी नं0 7, 8, 9, 10 उनके वारिस प्रतिवादीगण है।

यह कि विवादीत आराजी पक्षकारान की मौरूसी है मुल पुरूष चमना पिता नोला जाट वादी के पितामह तथा प्रतिवादी नं0 1 से 4 के भी पितामह तथा खातेदारी मु0 उदी मु0 कंकू सोहनी व रूपी के नाना जी थे इस प्रकार खातेदार चमना पिता नोला जाट के प्रतिवादी नं0 1 से 4 के पिता डालू जी व वादी के पिता दयाराम तथा मु0 बरदी पुत्री थी इसलिये चमना जी की मृत्यु के बाद इन्तकाल के जरिये डालु, मु0 बरदी, दयाराम पिता चमना जी के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में अंकन हुआ।

यह कि चमना जी की मृत्यु 60 वर्ष पहले हो गई इनके वारिस डालु का 1/3 मु0 बरदी का 1/3 दयाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियों की गलती से जमाबन्दी में प्रतिवादी नं0 1 से 4 के नाम 1/2 तथा दयाराम व बरदी के नाम 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया गया है जो गलत है जबकि मृतक खातेदारी के दो पुत्र डालु व दयाराम व मु0 बरदी पुत्री है इसलिये प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है इसलिये वह घोषित फरमाया जाना आवश्यक है कि विवादीत आराजी में डालु का 1/3 बरदी का 1/3 व दयाराम का 1/3 हिस्सा है इसलिये दयाराम के पुत्र वादी का 1/3 डालु के वारीस प्रतिवादी नं0 1 से 4 का 1/3 तथा बरदी के वारीस प्रतिवादी नं0 5 से 10 का 1/3 हिस्सा है।

यह कि विवादीत आराजीयात पर से प्रतिवादीगण वादी का संयुक्त कब्जा हटाने व आराजीयात जैरबहस को हस्तान्तरित करने की धमकी 15/12/09 को दी व वादी का कब्जा हटाने का प्रयास किया व झगड़ा किया इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है नही तो वादी को अपार क्षति होगी जिसे रूपयों में पूरा नहीं किया जा सकेगा एव ऐसी क्षति होगी जो रूपयों में आंका नहीं जा सकेगा।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि :—

(अ) पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी जैरबहस में वादी 1/3 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण नं0 1 से 4 तक भी 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी नं0 5 से 10 भी 1/3 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ब) पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि आराजी जैरबहस में वादी के संयुक्त कब्जे काश्त में दखलनदाजी नहीं करे व वादी का संयुक्त कब्जा नहीं हटावे व आराजीयात जैरबहस का किसी प्रकार के हस्तान्तरित नही करें न खुद ऐसा करे न अपने परिवार के सदस्य या नौकर एजेन्ट्स से करावें।

(स) अन्य दाद मुफिद वादी के हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:55 IST
Reason: SelfAttested

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 6, 8 बावजूद [illegible] आने से दिनांक 15.07.2010 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध दिनांक 12.09.2013 को

एकतरफा कार्यवाही की गयी। व शेष के विरूद्ध दिनांक 28.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही की गयी।

साक्ष्यवादी में वादी उदयराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 प्रदर्श–1, साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 प्रदर्श–2, साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2028–2031 प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नामान्तरण संख्या 93 प्रदर्श–5, नामान्तरण संख्या 77 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत् 2055–2058 प्रदर्श–7 प्रदर्श कराये।

वकील वादी की ओर से लिखित बहस निम्न निवेदन के साथ सादर प्रस्तुत की गयी–

1– यह कि ग्राम विरोली तहसील कपासन के हल्के बेरूनी मे चालु सम्वत 2052 की पेमाईश के आ0स0 256 रकबा 0.18 है0, आ0स0 257 रकबा 0.24 है0, आ0स0 258 रकबा 0.12 है0, आ0स0 259 रकबा 0.67 है0, आ0स0 260 रकबा 0.68 है0, आ0स0 261 रकबा 0.37 है0, आ0स0 273 रकबा 0.23 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 2.49 हैक्टर स्थित है। जिसके सम्वत 2012 की गत पेमाईस के आ0स0 97 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा आराजी न0 104 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आ0स0 108 रकबा 11 बिस्वा, आ0स0 109 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा स्थित है उक्त विवादित आराजीयात पक्षकार की मौरूसी है जिस पर सजरा निम्न है। मुल पुरूष चमना पिता नोला जाट के वारिस पुत्र डालु व दयाराम व पुत्री वरदी बाई है तथा चमना जी के फोत होने के बाद विरासत से जो नामान्तरण स0 93 प्रदर्श 5 व नामान्तरण स0 77 प्रदर्श स0 6 है जो वारिसो का नाम सही खुला है लेकिन रेवेन्यु कर्मचारियो की भूल एवं गलती से डालु के वारिसो प्रतिवादी स0 1 से 4 के नाम 1/3 के बजाय 1/2 और दयाराम और वरदी बाई के 1/3, 1/3 के बजाय 1/2 रिकार्ड मे दर्ज कर दिया है तथा वरदी की भी मृत्यु हो जाने से उनके वारिसो को प्रतिवादी स0 5 से 10 को पक्षकार बनाया गया है। इसलिए विवादित आराजीयात मे दयाराम के पुत्र वादी उदयराम का 1/3, डालु के वारिस प्रतिवादी स0 1 से 4, छोगा पिता डालु हीरा पिता डालु किशना पिता डालु, अमरीबाई पिता डालु का 1/3, तथा वरदीबाई के वारिस प्रतिवादी स0 5 से 10 शंकर माता उदी पिता दयाराम, माधु माता उदी पिता दयाराम, सत्यनारायण माता कंकु पिता हीरा, गोपाल माता कंकु पिता हीरा, सोहनीबाई माता वरदी पति दयाराम, रूपीबाई माता वरदीबाई पति मांगु का 1/3 हिस्सा है। दस्तावेजी साक्ष्य मे हाल जमाबन्दी व साबिक जमाबन्दीया व दो नामान्तरण की सत्यापित प्रतिलिपिया प्रदर्श कराई गई है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादपत्र की कॉलम स0 1 मे वर्णित विवादित आराजीयात मे वादी को 1/3 हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी स0 1 से 4 तक को भी 1/3 हिस्से का सयुक्त खातेदार काश्तकार और प्रतिवादी स0 5 से 10 को भी 1/3 हिस्से के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की वादी के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील वादी की लिखित बहस का अवलोकन किया। सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन के स्पष्ट है कि साबिक आराजी संख्या 97, 104, 108, 109 कुल किता 4 कुल रकबा 11 बिघा 10 बिस्वा से संलग्न मिलान शीट प्रदर्श–4 अनुसार नवीन आराजी संख्या 256, 257, 258, 259, 260, 261, 273 कुल किता 7 कुल रकबा 2.49 है0 बने है। साबिक आराजी संख्या 97, 104, 108, 109 चमना पिता नोला जाट के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त चमना जी के फौत होने के पश्चात मौजा की नामान्तरण संख्या 77 जो कि प्रदर्श–6 है, में वारिस डालु, दयाराम, वरदी पिता चमना के नाम खुला। डालु जी के फौत होने के पश्चात् मौजा विरोली के नामान्तरण संख्या 93 प्रदर्श 5 अनुसार डालु, दयाराम, वरदी पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:55 IST
Reason: SelfAttested

चमना जाट सा0 घासलों का खेडा से विरासत नामान्तरण डालु के वारिस छोगा, हीरा, किशना, अमरीबाई पिता डालु 1/2 से अंकित हुआ। व शेष 1/2 दयाराम व वरदी बाई के नाम दर्ज रेकार्ड कर दिया गया। वरदी बाई के फौत हो जाने के पश्चात् जरिये नामान्तरण संख्या 22 दिनांक 14.07.98 से वरदी बाई के बजाय उदी बाई, कंकू बाई, सोहनीबाई, रूपीबाई माता वरदी बाई 1/4 से जमाबन्दी सम्वत् 2055–2058 दिनांक 20.03.99 से अमल दरामद हुआ। जो प्रदर्श–7 है। हाल जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 में छोगा, हीरा, किशना, अमरीबाई पिता डालु 1/2 , उदयराम पिता दयाराम 1/4, उदीबाई, कंकूबाई, सोहनीबाई, रूपीबाई माता वरदीबाई 1/4 सा0 घासलों का खेडा दर्ज रेकार्ड है, जो प्रदर्श–1 है। नामान्तरण संख्या 93 में लिपिकीय त्रुटि से डालु के वारिसान को 1/3 के बजाय 1/2 हक हिस्से से दर्ज किये जाने से चमना के वारिसानों का हक हिस्सें में त्रुटि होना संलग्न दस्तावेजों से सिद्ध होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली में दिनांक 15.07.2022 से वादपत्र अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री जारी किया गया। वकील वादी द्वारा आज दिनांक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय में मृत्तका उदीबाई व कंकूबाई का नाम सहवन से दर्ज हो गया है जो कि उक्त के वारिसान प्रतिवादी सं0 5, 6, 7, 8 पत्रावली में पक्षकारान है। उदीबाई व कंकूबाई के स्थान पर उनके वारिसान का नाम निर्णय में अंकन किये जाने बाबत् निवेदन किया। जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया। व वाद निर्णय दिनांक 15.07.2022 का अवलोकन किया। निर्णय में सहवन से उदीबाई व कंकूबाई का नाम अंकित हो गया है, अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर मृत्तका उदीबाई व कंकूबाई के वारिसान का नाम निर्णय में जोडा जाता है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर संशोधित निर्णय दिया जाता है कि मौजा विरोली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के आराजी संख्या 256, 257, 258, 259, 260, 261, 273 कुल किता 7 कुल रकबा 2.49 है0 में छोगा, हीरा, किशना, अमरीबाई पिता डालु 1/3, उदयराम पिता दयाराम 1/3, शंकर माता उदीबाई, माधु माता उदीबाई, गोपाल माता कंकूबाई, सत्यनारायण माता कंकूबाई, सोहनीबाई, रूपीबाई माता वरदीबाई 1/3 जाति जाट साकिन घासलों का खेडा दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:41:55 IST
Reason: SelfAttested